न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी— एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या—41/2017

1. श्रवण पुत्र फूला, जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।
2. बीरबल पुत्र फूला, जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र फूला, जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।
4. गणपत पुत्र फूला, जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।
5. मालीराम पुत्र फूला, जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।

—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.07.2017
न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी मु.न. 05/2017
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम श्रवण वगैरह

उपस्थितः—

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———— राज0सरकार की ओर से।

— निणर्य— दिनांक—02.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.07.2017 मुकदमा नंबर 05/2017 बमुकदमा सरकार बनाम श्रवण वगैरह न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि — अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये बिना निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय स्पीकिंग

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

आर्डर की तारीफ में नहीं आता है, इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.02.2017 को जो रिपोर्ट बनाकर पीठासीन अधिकारी को पेश की गई है और जिसके आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, वह गलत पेश की गई है। भूमि खसरा नंबर 1160/327 में कोई ईंटो की सुखी दिवार नहीं है। भूमि खसरा नंबर 330 के खातेदार शिशपाल वगैरह ने अपनी फसल की सुरक्षार्थ पुख्ता दीवार बना रखी है। भूमि खसरा नंबर 330 में कोई रास्ता निकालने का आदेश नहीं है। उक्त पुख्ता दिवार भूमि खसरा नंबर 1160/327 में नहीं है, ना ही अपीलांट ने कभी बनाई है। निर्णय दिनांक 21.07.2017 निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 1160/327 माननीय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश से सृजित किया गया है। माननीय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का तथाकथित आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी के नाम था कि वे रास्ते की नाप जोख करे तथा रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि का वर्तमान डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि के अनुसार गणना कर भूमि खसरा नंबर 327 के खातेदारान को भुगतान करें। इस उपरान्त रास्ते को रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। इस बाबत तत्कालीन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आपने बिना कोई नोटिस दिये भूमि खसरा नंबर 330 व 326 में आतंक पैदा करके बिना खातेदारान को सुने जेसीबी चलाई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस बाबत तत्कालीन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 57/2017 पुलिस थाना उदयपुरवाटी में दर्ज करवा रखी है जिसका अनुसंधान विचाराधीन है। आज तक माननीय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेशानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की 2 गुणा राशि के अनुसार गणना कर भूमि खसरा नंबर 327 के खातेदारान को भुगतान नहीं किया गया है। उक्तानुसार भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन ही गलत प्रकिया के तहत किया गया है। तथा कथित आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू में तथा भूमि खसरा नंबर 1160/327 के सृजन बाबत भरे नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय में लंबित है, इसलिए भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन ही आक्षेपित है तथा वर्तमान में अन्तिम नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही तथा निर्णय दिनांक 21.07.2017 गलत रूप से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा अपने जबाब नोटिस में अंकितानुसार भूमि खसरा नंबर 1160/327, 330 व 326 की नपती निष्पक्ष ऐजेन्सी से नहीं करवाई है और अगर नपती करवाई गई है, तो अपीलांटस को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। स्वीकृत रूप से नामान्तरकरण संख 1832 में अंकित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय पारित करने के बाद उसकी कार्यवाही को अपील की मियाद तक स्थगित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके तथाकथित नामान्तकरण को तस्दीक करके भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन किया है जो बिना किसी रिजनिंग के नामान्तकरण स्वीकार किया है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्त होने योग्य है। अतःअपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 21.7.2017 उनवानी सरकार बनाम श्रवण वगैरह मु0नं0 5/2017 अं0धारा 91 राज0भू0 राजस्व अधि0 1956 निरस्त किया जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.02.2017 को जो रिपोर्ट बनाकर पीठासीन अधिकारी को पेश की गई है और जिसके आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, वह गलत पेश की गई है। भूमि खसरा नंबर 1160/327 में कोई ईंटो की सूखी दिवार नहीं है। भूमि खसरा नंबर 330 के खातेदार शिशपाल वगैरह ने अपनी फसल की सुरक्षार्थ पुख्ता दीवार बना रखी है। भूमि खसरा नंबर 330 में कोई रास्ता निकालने का आदेश नहीं है। उक्त पुख्ता दिवार भूमि खसरा नंबर 1160/327 में नहीं है, ना ही अपीलांट ने कभी बनाई है। निर्णय दिनांक 21.07.2017 निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 1160/327 माननीय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश से सृजित किया गया है। माननीय उपखण्ड अधिकारी का तथाकथित आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी के नाम था कि वे रास्ते की नाप जोख करे तथा रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि का वर्तमान डी.एल.सी दर की 2 गुणा राशि के अनुसार गणना कर भूमि खसरा नंबर 327 के खातेदारान को भुगतान करें। इस उपरान्त रास्ते को रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित कर नक्शा टेस में तरमीम करें। इस बाबत तत्कालीन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आपने बिना कोई नोटिस दिये भूमि खसरा नंबर 330 व 326 में आतंक पैदा करके बिना खातेदारान को सुने जे.सी.बी चलाई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस बाबत तत्कालीन नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 57/2017 पुलिस थाना उदयपुरवाटी में दर्ज करवा रखी है जिसका अनुसंधान विचाराधीन है। आज तक माननीय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेशानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की 2 गुणा राशि के अनुसार गणना कर भूमि खसरा नंबर 327 के खातेदारान को भुगतान नहीं किया गया है। उक्तानुसार भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन ही गलत प्रकिया के तहत किया गया है। तथाकथित आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

झुंझुनू में तथा भूमि खसरा नंबर 1160/327 के सृजन बाबत भरे नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय में लंबित है, इसलिए भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन ही आक्षेपित है तथा वर्तमान में अन्तिम नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही तथा निर्णय दिनांक 21.07.2017 गलत रूप से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा अपने जबाब नोटिस में अंकितानुसार भूमि खसरा नंबर 1160/327, 330 व 326 की नपती निष्पक्ष ऐजेन्सी से नहीं करवाई है और अगर नपती करवाई गई है, तो अपीलांटस को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। स्वीकृत रूप से नामान्तरकरण संख 1832 में अंकित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय पारित करने के बाद उसकी कार्यवाही को अपील की मियाद तक स्थगित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके तथाकथित नामान्तकरण को तस्दीक करके भूमि खसरा नंबर 1160/327 का सृजन किया है जो बिना किसी रिजनिंग के नामान्तकरण स्वीकार किया है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश की पालना में विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अपीलांट ने सारी कहानी मनगढ़त बनायी है। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बदने डीएलसी दर की दो गुणा राशि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश के दूसरे ही दिन दिनांक 25.01.2017 को राशि तहसीलदार उयपुरवाटी के कार्यालय में जरिये बुक संख्या 0054487 रसीद संख्या–0000001 जमा हो चुकी है। अपीलांट जानबूझकर जमा राशि प्राप्त नहीं कर रहा है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 24.1.2017 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील की गई थी, जो भी राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के निर्णय दिनांक 28.05.2018 द्वारा खारिज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त रास्ता खोलने के लिये अपनायी गई प्रकिया एवं निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पर उपलब्ध अभिकथनों एवं साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के निर्णय में पारित आदेशानुसार उन्हें वादग्रस्त

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

भूमि के बदले डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश के बावजूद भी जेसीबी से वादग्रस्त भूमि में जबरन रास्ता कायम कर दिया गया । इन तर्कों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयुपरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2017 में आदेश किया गया है कि " उक्त रास्ते की नाप जोख करें तथा रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि के अनुसार गणना कर ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नंबर 327 एवं 204 के खातेदारों को भुगतान करें, तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमीम करें ।" उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि दिनांक 25.01.2017 को तहसीलदार उयपुरवाटी के कार्यालय में जरिये बुक संख्या 0054487 रसीद संख्या–0000001 जमा हुई है। उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 24.01.2017 की जानकारी अपीलांट को रही है। अपीलांट को जमा राशि प्राप्त करने के लिए तहसीलदार उयपुरवाटी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। जहां तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के स्थगन के दौरान कार्यवाही करने का प्रश्न है–उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अपील अवधि तक अपने निर्णय की कियान्विति स्थगित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का स्थगन आदेश दिनांक 25.01.2017 का है और अपीलांट द्वारा दिनांक 27.01.2017 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू के यहां अपील प्रस्तुत हुई है। उक्त अपील प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मौके पर मय पुलिस जाब्ता रास्ता दिनांक 07.02.2017 को कायम कर खोला गया है । अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू के न्यायालय में अपील के साथ स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी आदेश दिनांक 13.02.2017 को खारिज हुआ है। उसके उपरान्त दिनांक 06.04.2017 को वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया है और दिनांक 21.07.2017 को आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में की गई कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। वर्तमान में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के उक्त निर्णय दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू के न्यायालय में विचाराधीन अपील भी माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.05.2018 द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपीलांट की यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। यह प्रकरण काफी लंबे समय से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है। अपील स्वीकार करने से अनावश्यक मुकदमेबाजी को

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। अगर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के बदले निर्धारित डी.एल.सी दर की दो गुणा राशि जो तहसीलदार उदयपुरवाटी के कार्यालय में जमा हुई है, प्राप्त नहीं हुई है तो तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 21.07.2017 मुकदमा संख्या 05/2017 सरकार बनाम श्रवण वगैरा यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाय ा गया।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू